(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4484–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2013 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 177/अपील/2012–13.

.....

1–जुगलकिशोर पुत्र स्वर्गीय श्री कलीराम मालवीय
2–श्रीमती ऊषाबाई पत्नी जुगलकिशार मालवीय
दोनों निवासी राजेंद्र वार्ड तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नंदकिशोर मालवीय पुत्र स्वर्गीय श्री कलीराम मालवीय
निवासी ई–2/263 अरेरा कालोनी भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री आर0एस0भम्मानी, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26–4–1989 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी

के समक्ष दिनांक 19–2–11 को प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–2–13 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–4–89 निरस्त किया गया एवं मौजा लखनपुर की भूमि सर्वे कमांक 48 एवं सर्वे कमांक 76/2 कुल रकबा 5.900 हेक्टेयर पर नंदकिशोर, जुगलकिशोर पुत्र कलीराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं उषाबाई पत्नी जुगलकिशोर का नाम उपरोक्त भूमियों से पृथक किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) मौजा लखनपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 48 रकबा 12.25 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 76 रकबा 2.33 हेक्टेयर एवं 14.73 एकड़ भूमि कलीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । कलीराम द्वारा नंदकिशोर जब 3 वर्ष का था उसके नाम से सर्वे नम्बर 178 रकबा 14.35 एकड़ भूमि कय की गई थी । इसके अतिरिक्त 5.40 एकड़ एक अन्य भूमि भी उसके नाम कय की गई थी । इस प्रकार 34.48 एकड़ भूमि कलीराम के संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि थी । चूँकि भूमि कय करते समय नंदकिशोर अव्यस्क था इसलिये हिन्दू विधि के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त परिवार की भूमि मान्य की जायेगी ।

(2) चूँकि कलीराम संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता थे इसलिये नंदकिशोर के नाम से भूमि कय की गई तथा 14.73 एकड़ भूमि आवेदक को निर्धारित करते हुये उसकी पत्नी के पक्ष में नाम दर्ज करा दिया । चूँकि कलीराम संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता थे, इसलिये उन्हें उपरोक्त व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार था ।

(3) हिन्दू विधि की धारा 236 के अन्तर्गत कलीराम द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण का नाम दर्ज कराया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

(4) तहसीलदार द्वारा समझौते के आधार पर आदेश पारित किया गया था जिसमें लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् हस्तक्षेप करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(5) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 23 वर्ष विलम्ब से अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा बिना अनावेदक को सूचना दिये तहसीलदार से दिनांक 26–4–89 को आदेश पारित कराकर प्रश्नाधीन भूमि अपने नाम दर्ज करा ली, जबकि अनावेदक कलीराम का पुत्र होकर प्रश्नाधीन भूमि में से आधे हिस्से का हकदार है ।

(2) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत भूमिस्वामी द्वारा बटवारे का आवेदन पत्र देने पर हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा । उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध बटवारा आदेश पारित किया गया था जिसे किसी समय निरस्त किया जा सकता है और ऐसे आदेश के लिये समय सीमा का बन्धन नहीं रहता है ।

(4) आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा ऊषा का नाम काटे जाने के विरूद्ध कोई राहत नहीं चाही गई है, केवल विधि विरूद्ध आदेश पारित करने से अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश विधि विरूद्ध नहीं होता है ।

(5) विलम्ब क्षमा करने में उदार रूख अपनाना चाहिये ।

तर्क के समर्थन में 2006 आरएन 143 एवं 1995 आरएन 230 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय पिता को पैतृक संपत्ति पुत्र की पत्नि के नाम कराने का अधिकार नहीं था, क्योंकि संहिता की धारा 178(क) में यह प्रावधान है कि भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसानों के मध्य भूमि का विभाजन कर सकता है किन्तु तहसीलदार के लिये यह बन्धनकारी है कि भूमिस्वामी के सभी विधिक वारिसानों की सुनवाई करने के पश्चात् आदेश पारित किया जावेगा । प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक स्व0कलीराम का विधिक वारिस पुत्र है, किन्तु उसे सुनवाई व पक्ष समर्थन का कोई अवसर नहीं दिया है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर सही निर्णय लेकर वैध वारिसों के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश दिया है और अनुविभागीय अधिकारी के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर